



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक 252/भू-अभि./2023

कांकेर, दिनांक 24/02/2023

-:: छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास करने हेतु तारमार्ग के अधिकार नियम-2021 के अंतर्गत लाइसेंसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र ::-

मेसर्स असिसटेड वॉइस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड जो भारत सरकार, दूरसंचार विभाग से दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी)/ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आई.पी.) हेतु लाइसेंस प्राप्त कंपनी है, जिनका पंजीन क्रमांक 935/2019 है तथा जो दिनांक 20/10/2023 तक वैध है, को जिले में कांकेर वन मण्डल अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर छत्तीसगढ़ तारमार्ग के अधिकार नियम-2021 के अधीन भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की पदस्थापना एवं रखरखाव हेतु एतद् द्वारा अनुमति दी जाती है :-

क्र.	भूमि या भवन स्वामी का नाम विभाग का नाम	भूमि, सड़क या भवन का विवरण			तारमार्ग के अधिकार का क्षेत्र (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी. में)
		तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.		
1	राजस्व वन भूमि	नरहरपुर	घोटिया वाही	59	0.002	0.040
2		नरहरपुर		58	0.007	0.140
3		नरहरपुर	जामगांव	33	0.009	0.180
4		नरहरपुर	डोमपदर	113/1	0.011	0.220
		नरहरपुर	दबेना	292	0.007	0.140
		नरहरपुर		391	0.006	0.120
		नरहरपुर		94/1	0.013	0.260
		नरहरपुर		80/1	0.010	0.200
		नरहरपुर		20/1	0.006	0.120
		नरहरपुर		37/1	0.008	0.160
5		नरहरपुर	डुडुमबाहरा	183	0.004	0.080
6		नरहरपुर	नरहरपुर	1045	0.003	0.060

7	नरहरपुर	आंखिहरा	336/1	0.014	0.280
	नरहरपुर		352	0.013	0.260
	नरहरपुर		381/1	0.018	0.360
	नरहरपुर		462	0.018	0.360
	नरहरपुर		479	0.008	0.160
	नरहरपुर		523	0.014	0.280
8	नरहरपुर	किशनपुरी	647	0.006	0.120
	नरहरपुर		650	0.007	0.140
	नरहरपुर		653	0.008	0.160
9	नरहरपुर	उमरादाह	159	0.001	0.020
	नरहरपुर		1063/1	0.026	0.520
10	नरहरपुर	चवांड	609	0.004	0.080
	नरहरपुर		610	0.003	0.060
	नरहरपुर		611	0.007	0.140
11	नरहरपुर	रामपुर	1148	0.008	0.160
12	कांकेर	कोदाभाट	75/1	0.003	0.060
13	कांकेर	बेवर्ती *	1213/1	0.007	0.140
	कांकेर		1221	0.002	0.040
	कांकेर		1228	0.005	0.100
14	नरहरपुर	सरोना	492/1	0.008	0.160
15	नरहरपुर	मालगांव	198	0.002	0.040
16	नरहरपुर	भीमाडीह	230	0.008	0.160
	नरहरपुर		242	0.005	0.100
	नरहरपुर		465/1	0.004	0.080
	नरहरपुर			0.002	0.040
17	नरहरपुर	वासनवाही	456	0.002	0.040
	नरहरपुर		470	0.001	0.020
	नरहरपुर		472	0.001	0.020
18	चारामा	कराजैसा	1126/1	0.002	0.040
	चारामा		1128/1	0.007	0.140
	चारामा		1227	0.005	0.100
19	नरहरपुर	डुमरपानी	75	0.010	0.200
	नरहरपुर		203	0.003	0.060
	नरहरपुर		426	0.002	0.040
	नरहरपुर		425	0.007	0.140
	नरहरपुर		416	0.006	0.120
	नरहरपुर		1391	0.005	0.100
	नरहरपुर		1386	0.005	0.100
20	नरहरपुर	बाहनापानी	479	0.002	0.040
21	नरहरपुर	नरहरपुर	1045	0.003	0.060

22	भानुप्रतापपुर	बनोली	243	0.003	0.060
	भानुप्रतापपुर		248	0.003	0.060
	भानुप्रतापपुर		203	0.003	0.060
23	भानुप्रतापपुर	राड़वाही	456/1	0.002	0.040
			योग:-	0.359	7.180

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वनभूमि के मद पर दर्ज है, जिस पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वनविभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में उल्लेखित ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, निम्न शर्तों पर विषयांकित ग्रामों के आवेदित खसरो की भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है :-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित कुल 23 ग्रामों की राजस्व वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी की परिसंपत्ति की क्षति होती है, तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेगी।
4. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. ऑप्टिकल फायबर बिछाने हेतु किये जाने वाले कार्य के लिए जिन विभागों की संपत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, तो संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी तथा उक्त विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।

उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है, तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।




कलेक्टर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकर